

न्यायालय-जितेन्द्र प्रधान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0)
// रिमाण्ड आदेश //

क्रमांक क्यू/मु0न्या0मजि0/2025

जगदलपुर दिनांक-28/02/2025

मैं जितेन्द्र प्रधान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर, स्थान-जगदलपुर छ.ग. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्वारा आदेश जारी करता हूं कि जिला बस्तर जगदलपुर छ.ग. में पदस्थ कंडिका 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित माह-मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित दोपहर 3:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

माह- मार्च 2025

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड कार्य दिनांक
01	श्री गिरिश पाल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 14/03/2025 एवं 15/03/2025
02	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 08/03/2025
03	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 02/03/2025 एवं 31/03/2025
04	श्रीमती मीनाक्षी नाग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 09/03/2025 एवं 30/03/2025
05	श्रीमती दन्तेश्वरी नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 16/03/2025 एवं 23/03/2025


नोट :-

01. यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

02. उक्त घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य तिथियों पर अवकाश घोषित होने पर माह-मार्च 2025 में श्री गिरिश पाल सिंह, श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ, श्री राहुल शराफ, श्रीमती मीनाक्षी नाग एवं श्रीमती दन्तेश्वरी नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0) द्वारा आपसी सहमति से रिमाण्ड कार्य संपादित किया जायेगा।

दिनांक-28.02.2025

स्थान-जगदलपुर


(जितेन्द्र प्रधान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर, स्थान जगदलपुर